बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

संख्या–18/लो०से०अ०–12–01/2016(खण्ड) 4306 /बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 4, 2011) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–11960 एवं 11961 दिनांक–15.09.2017 (अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12. 2013 द्वारा प्रतिस्थापित) (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की नई सेवाओं को संशोधित करते हुए तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–1 के क्रमांक–07 पर अंकित–(I) नये राशन कार्ड का निर्गमन(क एवं ख) (II) राशन कार्ड में संशोधन(क एवं ख) को राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :–

पटना, दिनांक–22.04.2020

क्र० सं०	विभाग का नाम/सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2		3	4	5	6	7	8
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 2 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस

2	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/ नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 2 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस

2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट) प्रपत्र–I संलग्न हैं।

3. विभागीय अधिसूचना सं0–11960 एवं 11961 दिनांक–15.09.2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 4306 /पटना 15 दिनांक–22.04.2020

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 4306/पटना 15 दिनांक–22.04.2020

प्रतिलिपि–सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.04.2020 के मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के संदर्भ में/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.4.2020

सरकार के अवर सचिव।

अनु० – 'A'

आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र ''क'' में अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से प्रपत्र 'क' अनुसार प्राप्त आवेदन (इसकी प्रिंटेड प्रति संबंधित प्रखण्ड के RTPS केंद्र को उपलब्ध करायी जाएगी)। 2. सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से खींचा गया आधार कार्ड का फ़ोटो। 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से खींचा गया इन दस्तावेजों का फ़ोटो। 4. आवासीय प्रमाण पत्र अथवा जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र, जिसका निर्धारित एप के माध्यम से फ़ोटो खींचा जाएगा। 5. प्रपत्र ''क' के क्रमांक-10 अथवा 11 जो लागू हो के के संबंध में शपथ पत्र अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त आवेदन के मामले में आवेदक का स्वघोषित शपथ पत्र जिसका एप के माध्यम से फ़ोटो खींचा जाएगा। 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से खींचा गया फ़ोटो। नोट: -जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामले में प्रपत्र ''क' के क्रमांक-10 के क्रम में दिए जाने वाले शपथ पत्र के स्थान पर समर्पित स्व-घोषणा शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को सम्पूर्ण आवेदन हेतु आवेदक का हस्ताक्षर के रूप में मान्य माना जाएगा।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/नाम हटाना)	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र ''ख'' अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से प्रपत्र 'ख' अनुसार मात्र राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने (नये जन्म एवं मृत्यु के आवेदनों को छोड़कर) हेतु प्राप्त आवेदन (इसकी प्रिंटेड प्रति संबंधित प्रखण्ड के RTPS केंद्र को उपलब्ध करायी जाएगी)। 2. व्यक्ति जिसका नाम जोडा जाना है, के आधार कार्ड की छायाप्रति 3. विभागीय आवेदन प्रपत्र ''ख'' के क्रमांक-8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति यथा- i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र अथवा जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र। ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र। iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियों जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0 कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, आदि।

Government of Bihar

General Administration Department

(Notification)

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0.................... / अधिसूचना संख्या– 4306 / दिनांक–22.04.2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

No-18/Lo.Se.A.-12-01/2016(Part)-4307 / In exercise of the power conferred by the Section-3 of Bihar Right to Public Services Act ,2011 (Bihar Act,4,2011) two new services of Food & Consumer protection Department, Bihar have been added and substituted by Notification no.-11960 & 11961 Dated-15-09-2017. serial no.-7 of Appendix-I of above mentioned notification-I issuance of New ration card – II rectification of ration card, the State Government has amended and substituted as follows with immediate effect :-

S. No.	Name of the Department/Service		Namely Specified Public Servant	Stipulated Time for Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Food and Consumer protection Department. (I) Issuance of New Ration Card	(A) Put up with recommendation before sub-Divisional officer after scrultene of received applications	Block Development Officer	15working days	Sub- Divisional Officer	21 working days	District Magistrate	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika-2 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days
		(B) Required verificiton and decision after receiving with recommendation	Sub-Divisional Officer	15 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days
	Food and Consumer protection Department. (II) Rectification of Ration Card (Rectification in name /addition or deletion of name)	(A) Put up with recommendation before sub-Divisional officer after scruitene of received applications	Block Development Officer	15 working days	Sub- Divisional Officer	21 working days	District Magistrate	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -2 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days

		(B) Required verification and decision after receiving with recommendation	Sub-Divisional Officer	15 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days

2. Two avail these services Under The Right to Bihar Public Services Act, 2011 the check list Performa-I to be attached herewith.

3. Remaining Colums of Notification no.-11960 & 11961 Dated-15-09-2017 shall be inforced.

By the Order of Governor of Bihar,

ह0/–

(Kanhaiya Lal Sah)

Under Secretary to the Government

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0–4307/पटना 15 दिनांक–22.04.2020

प्रतिलिपि–पभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.4.2020

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।